

# संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755.2427091

क्रमांक  
प्रति,

/टीसी/08/उपां/नग्रानि/2016 भोपाल, दिनांक:- / /2018

1. कलेक्टर,  
जिला इन्दौर (म.प्र.)।
2. आयुक्त,  
नगर निगम इन्दौर (म.प्र.)।
3. संयुक्त संचालक,  
नगर तथा ग्राम निवेश,  
जिला कार्यालय, इन्दौर (म.प्र.)।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
जिला पंचायत, इन्दौर (म.प्र.)।

विषय:- इन्दौर विकास योजना 2021 में उपांतरण बाबत ।

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल ने इन्दौर विकास योजना 2021 में उपांतरण प्रस्तावित किया गया है । जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्र (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशन कराया जा रहा है ।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें ।

संलग्न :- यथोपरि

(स्वाति मीणा नायक)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म0प्र0 भोपाल

पृ.क्रमांक 831 /टीसी/08/उपां/नग्रानि/2016 भोपाल दिनांक:-16/2/2018  
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ ।
2. संयुक्त संचालक/सहायक सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी, आई.टी. नगर तथा ग्राम निवेश, (म.प्र.) भोपाल को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित ।

(स्वाति मीणा नायक)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म0प्र0 भोपाल

# संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर जेरा कालोनी, हबीबनगर पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016  
ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755.2427091

## सूचना

क्रमांक 28 | 08/उपां/टीसी/इन्दौर/2016 मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि संचालक, नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट इन्दौर विकास योजना 2021 में उपान्तरण प्रस्तावित करता है।

## अनुसूची

क्र०	ग्राम	खसरा क्र०	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपान्तरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
1.	2.	3	4	5	6
1.	तलावली	62/3/1 एवं 62/2/4/2	1.800	कृषि, आवासीय एवं मार्ग	सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक व्यपवर्जन (बोहरा मस्जिद क्लीनिक, कम्प्युनिटी हॉल नर्सरी स्कुल एवं अन्य) एवं मार्ग
		योग:-	1.800 हेक्टेयर		

प्रस्तावित उपान्तरण के ब्यौरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय इन्दौर तथा वेबसाईट [www.mptownplan.gov.in](http://www.mptownplan.gov.in) पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपान्तरण के सम्बंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपत्ति/सुझाव हो तो, वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, इन्दौर को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियाँ या सुझाव जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, पर संचालक द्वारा विचार किया जाएगा।

(स्वाति मीणा नायक)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म0प्र0 भोपाल

## Directorate, Town and Country planning,

Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony, Bhopal Madhya Pradesh

Email-mptownplan@mp.gov.in, Phone No-0755.2427091

### Notice

Bhopal, Dated. 14/2/2018

No. 828/08/TC/Indore/2016:: In exercise of the powers conferred by Clause (b) of Sub section (I) of sub section 23-A of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhinyam, 1973 (No.23 of 1973). The Director hereby proposes the following modifications for public information in the Indore Development Plan, 2021 as specified in the schedule hereunder, namely:-

### SCHEDULE

No	Village	Khasara No.	Area (In Ha.)	Land use specified in the Development plan	Proposed Land use after modifications
1	2	3	4	5	6
1.	Talawali Indore	62/3/1 एवं 62/2/4/2	1.800	Agriculture, Residential and Road	Public and Semi Public (Bohara Masjid Clinic, Community Hall, Nursery School and Road.
		<b>Total:-</b>	<b>1.800 Ha.</b>		

Details of The proposed modifications shall be available for inspection to the public in the office of Joint Director, Town and Country Planning, District Indore as well as on the web site [www.mptownplan.gov.in](http://www.mptownplan.gov.in) for a Period of 15 days from the date of publication of this notice.

Any objection/suggestions with respect to the said modification may be submitted by any person to the Director, Town and Country planning Madhya Pradesh, Bhopal or Joint Director, Town and Country Planning, District office Indore in writing within a period of 15 days and the from the date of publication of this notice in the daily news papers and such objections and suggestions which may be received before the expiry of the period specified above will be considered by the Director.

( Swati Meena Naik )

Director

Town and Country planning  
Madhya Pradesh Bhopal